



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, वृहस्पतिवार, 11 अप्रैल, 1974

चत्र 21, 1896 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1045/17-वि-1--13-74

लखनऊ, 11 अप्रैल, 1974

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1974 पर दिनांक 10 अप्रैल, 1974 ई० को स्वीकृति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1974 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1974

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1974]

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, 1958 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये
अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, 1958 की धारा 1 की उपधारा (3) में, श्रंक "1973" के स्थान पर श्रंक "1974" रख दिये जायें।

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 22,
1958 की धारा
1 का संशोधन

3—(1) उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1973 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

निरसन तथा अप-
घाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य, इस अधिनियम के अधीन की गई बात अथवा किया गया कार्य समझा जायगा, मानों यह अधिनियम सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त था।

No. 1045(2)/XVII-V-1—13-74

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Antarim Zila Parishads (Sanshodhan) Adhiniyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 1974) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 10, 1974:

THE UTTAR PRADESH ANTARIM ZILA PARISHADS (SANSHODHAN)
ADHINIYAM, 1974

[U. P. ACT No. 5 OF 1974]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

furthest to amend the Uttar Pradesh Antarim Zila Parishad Act, 1958

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-fifth year of the Republic of India.

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Antarim Zila Parishads (Sanshodhan) Adhiniyam, 1974.

Amendment of
section 1 of U. P.
Act XXII of 1958.

2. In section 1 of the Uttar Pradesh Antarim Zila Parishad Act, 1958, in sub-section (3) for the figures "1973" the figures "1974" shall be substituted.

Repeal and
saving.

3. (i) The Uttar Pradesh Antarim Zila Parishads (Sanshodhan) Ordinance, 1973, is hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act was in force at all material times.

U. P. Ordinance no. 9 of 1973.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,
सचिव।